कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर

कार्यालय आदेश क्रमांक-स्टेनो/2026/01 दिनांक- 06 जनवरी, 2026

कार्यालय आदेश

मैं, रमेश कुमार, आरजेएस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बीकानेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व के कार्यालय आदेश क्रमांक स्टेनो/2025/22 दिनांक 17.12.2025 में प्रशासनिक कारणों (आपसी सहमति) से **दिनांक 10.01.2026 व 11.01.2026 की श्री चंद्रशेखर पारीक, अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-एक, बीकानेर** की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त की जाती है एवं निम्नांकित शासकीय अवकाश में बीकानेर जिले के आरक्षी केन्द्रों से संबंधित आपराधिक प्रकरणों एवं कार्यों के निस्तारणार्थ निम्न अधिकारी को अधिकृत करता हूं जो कि माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बीकानेर के परिपत्र संख्या स्था/2024/358 दिनांकित 18.09.2024 के अनुसार निर्धारित स्थान (पुराने न्यायालय परिसर में भूतल पर स्थित भवन जहां पूर्व में ग्राम न्यायालय बीकानेर का संचालन होता था) पर प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे के मध्य सम्पादित करेंगे तथा यदि किसी कारणवशराज्य सरकार, राजस्थान सरकार के आदेशानुसार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार राजकीय अवकाश के अगले ही दिन अचानक राजकीय अवकाश घोषित किया जाता है, तो ऐसे घोषित राजकीय अवकाश से पूर्व के राजकीय अवकाश के दिन जिस अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित की गई है, वही अधिकारी ऐसे घोषित राजकीय अवकाश के दिन रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करेंगे।

रिमाण्ड ड्यूटी के दौरान आने वाले इन्क्वेस्ट व मृत्युकालीन बयान व अन्य विशेष कार्य भी उसी अधिकारी के द्वारा सम्पादित किए जायेंगे, जिनकी रिमाण्ड ड्यूटी लगाई गई है।

अवकाश दिवस जिसमें पीठासीन अधिकारी कार्य करेंगे	पीठासीन अधिकारी का नाम	पीठासीन अधिकारी के मोबाईल नम्बर	न्यायालय का नाम जिसके पीठासीन अधिकारी अवकाश दिवस में कार्य करेंगे।
10-11 जनवरी, 2026	श्री साजिद हुसैन	9782005001	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) बीकानेर

नोटः-(1) उक्त राजकीय अवकाशों के दिन ताल्लुका मुख्यालय पर उपस्थित अधिकारी अपने थाना क्षेत्र के रिमाण्ड दे सकेंगे।

(2) रिमाण्ड आवेदन अवकाशकालीन न्यायालय के समक्ष निर्धारित समयावधि के दौरान ही पेश किये जायेंगे तथा अनावश्यक विलम्ब करने पर संबंधित थानाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

(3) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बीकानेर न्यायक्षेत्र की सीमाओं के अधीन आने वाले आरक्षी केन्द्रों द्वारा विशिष्ट न्यायालयों से संबंधित प्रकरणों में न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले अभियुक्त/अभियुक्तों के संबंध में भी नियमानुसार व विधिनुसार न्यायिक/पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की कार्यवाही अधिकृत अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट न्यायालय ही करेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।

पत्र प्रेषण क्रमांकः-स्टेनो/2025/19 दिनांकः- 06 जनवरी, 2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बीकानेर को सूचनार्थ।
2. श्रीमान पुलिस अधीक्षक, बीकानेर।
3. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01, बीकानेर
4. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (किराया अधिकरण) बीकानेर
5. कार्यालय उपनिदेशक अभियोजन विभाग, बीकानेर
6. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, बीकानेर।
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, बीकानेर को वेबसाईट पर अपलोड करने तथा उपरोक्त को जरिये ई-मेल प्रेषित करने हेतु।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीकानेर।